



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 21.02.2023

प्रभावी पैरवी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई-

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.10.2018 को थाना-कोतवाली सदर, जनपद- हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 311/18 अन्तर्गत धारा-3/25 आर्म्स एक्ट में नामजद अभियुक्त विशाल सिंह उर्फ मालिक सिंह पुत्र सीताराम निवासी छौंक कोतवाली कालपी जनपद जालौन को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास व 500 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा दिलाई।